द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/2553/2013

श्री गोपाल बनर्जी, — अपीलार्थी
ग्रेष शेष कालोनी, डिपूपारा,
म0नं0 15/456,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ0ग0)

विरूद्ध

श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, —उत्तरवादी क्रं0 01
जनसूचना अधिकारी,
कार्यालय–जिला कार्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

श्री टी0के0 वर्मा, —उत्तरवादी क्रं0 02
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय–जिला कार्यालय,
बिलासपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–
(पारित दिनांक : 25/09/2014)

यह द्वितीय अपील, अपीलार्थी श्री गोपाल बनर्जी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 19 के अंतर्गत उत्तरवादी क्रं0 1, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय–जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) तथा उत्तरवादी क्रं0 02, श्री टी0के0 वर्मा, प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय–जिला कार्यालय, बिलासपुर (छ0ग0) के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण यह है कि अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 2.8.11 प्रस्तुत कर परिवर्तित भूमि खसरे के भूखंड क्रमांक 372/8 क्षेत्रफल 1631 वर्गफुट (खसरा नं0 784/5 जूना, बिलासपुर तह0 बिलासपुर) का नक्शा मांगा था जिसके संबंध में उन्हें कार्यालय कलेक्टर (सूचना का अधिकार) बिलासपुर के जनसूचना अधिकारी का पत्र क्रमांक 6571 दिनांक 8/12 सितंबर 2011 के साथ संलग्न कर सूचना दी गई कि उक्त भूखंड का नक्शा कार्यालय में संधारित नहीं है। अतः उपलब्ध कराना संभव नहीं है। इससे पीड़ित होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील दिनांक 29.11.11 प्रस्तुत की। कोई कार्यवाही न होने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

द्वितीय अपील के दौरान विडियो कांफ्रेंसिंग में अपीलार्थी तथा कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर के अधीक्षक, भू–अभिलेख श्री जे0एस0 कुसराम को सुना गया। अपीलार्थी का कथन है कि यदि भूमि परिवर्तित की गई है तो उसका नक्शा भी बनाया जाना चाहिए। जबकि अधीक्षक का कथन है कि रिकार्ड में नक्शा संधारित नहीं है। यह सूचना अपीलार्थी को दी जा चुकी है। अपीलार्थी ने यह सूचना प्राप्त होना स्वीकार किया है। परंतु उनका यही कहना है कि नक्शा संधारित किया जाना चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत वही सूचना/जानकारी दी जा सकती है जो रिकार्ड

में उपलब्ध है। यह स्पष्ट हो चुका है कि वांछित सूचना अर्थात् नक्शा रिकार्ड में नहीं है क्योंकि वह संधारित नहीं है अतः वांछित सूचना प्रदान किये जाने का आदेश देना संभव नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण सिविल अपील नं. 6454/2011, एस.एल.पी.नं. 7526/2009 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्ररी एजुकेशन एवं अन्य विरूद्ध आदित्य बंदोपाध्याय एवं अन्य में पारित आदेश में भी यही पाया गया है कि केवल रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी देना ही अपेक्षित है। उसे एकत्रित COLLECT कर या COLLATE कर देना अपेक्षित नहीं है। इसका यह अर्थ भी हुआ कि नक्शा बनाकर देना अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह पाते हुए कि वांछित सूचना रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है इसलिए जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर संतोषजनक पाते हुए अपील अस्वीकार कर प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

आदेश तद्नुरूप। प्रकरण समाप्त कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त